अनुदान संख्या 68– खान मंत्रालय
GRANT No. 68- MINISTRY OF MINES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1498,49,00	4310,06,00	4287,00,18	-23,05,82
पूरक	Supplementary	2811,57,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				16,82,06
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		68,33,00	52,84,32	-15,48,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15,46,69

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	4150.00	5462.43	5461.17	-1.26
पू.	S.	775.00			
पु.	R.	537.43			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6435.00	..	..	..
पु.	R.	-6435.00			
मुख्य शीर्ष "2853" अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Major Head "2853" Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	139264.00			
पू.	S.	280382.00	423861.51	423239.01	-622.50
पु.	R.	4215.51			

(I) ₹6685.00 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹5952.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण–निदेशन और प्रशासन – भारतीय भूवैज्ञानिक कार्यकलाप" – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹6685.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹5952.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Geological Survey of India – Direction and Administration - Geological Survey of India Activities" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2853" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" –

(क) "सर्वेक्षण और मानचित्रण – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹3596.44 लाख की बचत (₹13080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण के तीन जलयानों के संचालन और रख–रखाव के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निधियों की कम आवश्यकता और डाटा एकत्र करने के लिए तृतीय पक्ष को सर्वेक्षण कार्य आउटसोर्स करने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2853" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India"-

(a) "Survey & Mapping - Geological Survey of India Activities"- saving of ₹3596.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13080.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Shipping Corporation of India towards operation and maintenance of three Geological Survey of India vessels and outsourcing of survey work to third party for collection of data.

(ख) "अन्य व्यय – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण"– ₹1791.91 लाख की बचत (₹8894.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण ग्वालियर संग्रहालय के निर्माण में देरी, जीएसआई के स्थान पर एनएमईटी कोष से राष्ट्रीय भू–विज्ञान डेटा रिपोजिटरी परियोजना के लिए अनुमोदन एवं कार्य–निष्पादन लेने तथा आईटी संबंधित उपकरणों की खरीद में विलंब, कार्य की धीमी गति और निविदा प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure - Geological Survey of India"- saving of ₹1791.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8894.00 lakhs) was due to delay in construction of Gwalior Museum owing to COVID-19 pandemic, approval and execution of National Geoscience Data Respository (NGDR) project from NMET Fund instead of GSI, deferment of procurement of IT related equipments, non-completion of work by Central Public Works Department owing to slow progress of work and repeated tendering process.

(खा) "खानों का विनियम और विकास– खान ब्यूरो – भारतीय खान ब्यूरो" – ₹1048.78 लाख की बचत (₹9531.00 लाख की स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती न किए जाने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्तियों में वृद्धि तथा कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण काम पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Regulation and Development of Mines - Bureau of Mines - Indian Bureau of Mines"- saving of ₹1048.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9531.00 lakhs) was due to non-materialization of direct recruitment and deputation requisition from UPSC, SSC, increase in VRS and non-completion of work owing to COVID-19 pandemic.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹288.33 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹288.33 lakhs occurred constituting 31 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक तौर पर प्रतिसंतुलित की गई थीं:–

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads: -

(I) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – खान मंत्रालय" – ₹536.17 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹775.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹4925.00 लाख के स्वीकृत कुल प्रावधान की तुलना में) आरएकेआईए अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम मामले के संबंध में अधिवक्ता प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(I) Major Head "3451" – "Secretariat- Ministry of Mines" – excess of ₹536.17 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4925.00 lakhs including supplementary grant of ₹775.00 lakhs obtained in March, 2022) was due to requirement of additional funds towards counsel charges in respect of RAKIA International Arbitration matter

(II) मुख्य शीर्ष "2853" – "भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण – निदेशन और प्रशासन – भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹9156.42 लाख का अधिक व्यय (₹66771.00 लाख के स्वीकृत कुल प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं भत्तों की बकाया राशि के लिए अतिरिक्त निधियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों का किए जाने के कारण हुआ।

(II) Major Head "2853" - "Geological Survey of India - Direction and Administration - Geological Survey of India" – excess of ₹9156.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹66771.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards arrears of pay and allowances and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹701.98 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत तथा 21 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹701.98 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 14 percent and 21 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4853" अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	6731.00	5286.31	5284.32	-1.99
पु.	R.	-1444.69			

(I) ₹102.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹102.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) "खनिज अन्वेषण और विकास – अन्य व्यय– भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" के अंतर्गत – ₹1433.98 लाख की बचत (₹6530.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीईएम में तकनीकी कठिनाइयों की वजह से उपकरणों/मशीनरी की गैर–खरीद, मेक इन इंडिया क्लॉज के पूरा न होने, प्रक्रिया संबंधी विलम्ब और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Mineral Exploration and Development – Other Expenditure - Geological Survey of India Activities" – saving of ₹1433.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6530.00 lakhs) was due to non-procurement of equipments/ machinery owing to technical difficulties in GeM, non-completion of MII(Make in India) clause, procedural delays and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.